भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/13/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार,

वाणिज्य एवं उद्‌योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30 सितंबर, 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 11/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. **मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्‌योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्‌ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो" (जिसे आगे संबद्‌ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो", है ।

3. मोमेंटिव ने उच्च निष्पादन मानक, सार्वभौमिक और विशिष्ट सिलीकॉन की पूरी रेंज को डिजाइन किया है, ताकि लोचशील पॉलीयुरेथेन स्लैब स्टॉक और आरएमएस फोम का उत्पादन किया जा सके, जो फोम उत्पादकों को उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त समाधान के उत्पादन में मदद कर सके और फोम ग्रेडों की व्यापक किस्म उपलब्ध करा सके। सिलिकोन बैकबोन में हाइड्रोफोबिक / गैर पोलर सामग्रियों से संबंध होता है और पोलिएथरपेंडेंट्स को अधिक हाइड्रोफिलिक / पोलर सामग्रियों के लिए बनाया जाता है।

4. संबद्ध वस्तु का प्रयोग स्लैब, मोल्डेड, रिजिड फोम अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें अंतिम प्रयोगों जैसे बेडिंग और फर्नीचर, इंसुलेशन सामग्री, ऑटोमोटिव और विशिष्ट फोम में भी प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद का मुद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु अध्याय 3402 और 3910 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता है।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहें हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को चीन जन. गण. से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। इस प्रकार आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।

8. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु का अपने संबंधित पक्षकारों से ऐसी कीमतों पर आयात किया है जो चीन से अन्य आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों से उच्चतर हैं। तथापि, यह देखा गया है कि ये कीमतें संबंधित पक्षकारों द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यात और अन्य गैर संबद्ध देशों की कीमतों के अनुसार हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयात होने का एक मात्र कारण यह तथ्य था कि किसी किस्म विशेष की मांग इतनी कम हो सकती है जो विशेष समय पर उत्पादन कार्यक्रम को बदलना न्यायोचित न ठहराती हो। किसी भी तरह आवेदक ने स्पष्ट किया है कि चीन में उनका संबंधित पक्षकार भारतीय बाजार में रूचि नहीं रखता है और वह अलग व्यवहार की मांग नहीं करेगा।

9 उक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उत्पादक को एडीडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रथमदृष्ट्या घरेलू उद्योग माना है और यह आवेदन एडीडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. आवेदन चीन जन. गण. और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के संबंध में दायर किया गया है। तथापि डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों का विश्लेषण करते समय यह पाया गया था कि यूएसए से आयात न्यूनतम सीमा से कम थे और इसलिए वर्तमान जांच केवल चीन जन. गण. के विरूद्ध शुरू की गई है।

ङ. जांच की अवधि

11. आवेदक ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के रूप में जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस अवधि को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) तक अद्यतन किया है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई तक की है।

च. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

13. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के साधन उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया है।

छ. निर्यात कीमत

14. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। मालभाड़ा लागत, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाडा, लोडिंग और अनलोडिंग प्रभार के लिए कारखानाद्वार निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समायोजनों का दावा किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र तथा भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की वजह से आवेदक लागत में बदलाव के अनुसार अपनी कीमत में बदलाव नहीं कर सका। यह दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है, जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराती है।

ञ. जांच की शुरूआत

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध

का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की कार्रवाई से अवगत रहने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी

नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

25. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडीडी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

31. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 24 में यथा इंगित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध और अन्य सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर या उसके बाद किसी पत्र के जरिए प्रदत्त समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी